


The institutional initiatives for greening the campus

S.no	Initiatives		Hyperlink
1	Restricted entry of automobiles,	The University has made parking near the entrance and beyond that point, the entry of automobiles is banned on both campuses. The institute encourages the staff and students to use the vehicles with pollution check stickers to reduce environmental pollution.	View
2	Use of Bicycles/ Battery powered vehicles,	The students in the campus as well as in the hostels are using bicycles to use as a mode of transport within the campus to make campus pollution free. University has also provided Battery powered vehicles to use within campus	View
3	Pedestrian Friendly pathways,	The university has covered pathways for the benefit of students and faculty. The pathways are tiled and pedestrian friendly.	View
4	Ban on the use of Plastic,	Ban on plastic is strictly followed in the campus. Single-use plastic items such as plastic bottles, bags, spoons, straws and cups are banned completely and awareness is created among staff and students through orientation and display boards in the premises.	View
5	Landscaping with trees and plants	ITM University has a beautiful landscape with mix of very old trees, middle aged trees, young trees or saplings and herbs and shrubs. The college gardens are well maintained through skilled and experienced persons	View

1. Restricted entry of automobiles

Restricted use of Automobiles: The University has made parking near the entrance and beyond that point, the entry of automobiles is banned on both campuses. We have very good landscaping done and hence it is always a privilege for any visitor to walk down through various blocks.

Photo of Automated Parking entry gate





Photos of semi-Automated Parking



क्र.आईटीएम/आदेश/2023



फरवरी 15, 2023

आदेश

प्रायः यह देखा जा रहा है कि सियौली कैम्पस में कई शिक्षक एवं कर्मचारी वाहनों को अपने कार्यस्थल भवनों के पास ही रोड के किनारे पार्क कर देते हैं जिससे कि कैम्पस में आवागमन के साथ-साथ अन्य असुविधाओं का सामना भी करना पड़ता है। अतः समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें। आदेश की अवहेलना होने पर संबंधित पर रूप 500/- का अर्थदण्ड लगाया जायेगा।

सियौली कैम्पस में पदस्थ सुरक्षा अधिकारी एवं संपदा अधिकारी को भी आदेशित किया जाता है कि वे उक्त निर्देशों का पालन करवायें अन्यथा प्रत्येक भूल पर उनके उपर भी रूप 500/- का अर्थदण्ड लगाया जाएगा।


कुलसचिव एवं अधिष्ठाता प्रशासन

प्रतिलिपि ईमेल द्वारा सूचनार्थः

- 1- माननीया कुलाधिपति महोदय
- 2- माननीय समकुलाधिपति महोदय
- 3- माननीय कुलपति महोदय
- 4- माननीय प्रतिकुलपति महोदय
- 5- निदेशक, आईटीएम
- 6- निदेशक, काउंसलिंग विभाग
- 7- मुख्य लेखा अधिकारी
- 8- उपकुलसचिव
- 9- परीक्षा नियंत्रक महोदय
- 10- ग्राफिक और डिजाइन सेल
- 11- जनसंपर्क अधिकारी
- 12- ई.आर.पी. सेल
- 13- ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट सेल
- 14- सुरक्षा अधिकारी
- 15- पुस्तकालय
- 16- मानव संसाधन कार्यालय
- 17- उपकुलसचिव कार्यालय

ITM University Campus, NH-44, Bypass Turari, Jhansi Road, Gwalior (M.P.) – 474 001 INDIA
E-mail: hroffice@itmunity.ac.in, Web: www.itmunity.ac.in

2. Use of bicycles/ Battery-powered vehicles

Use of Bicycles: The visitors who have come by public transport up to the university may register their names at the main gate and take a bicycle to move around the campus. There are lightweight bicycles available for a ride within the campus.



Electronic Powerd battery vehicle for within campus






Photos of Bicycles to use within campus

3. Pedestrian-friendly pathways


Pedestrian Friendly pathways: In both the campuses of the university, besides the main roads eco friendly pedestrian tiles are installed to enable rainwater recharging and easy walking.

Pedestrian Friendly pathways





Photos of Pedestrian-Friendly pathways



Display board for awareness regarding the use of own bags and ban on plastic bags

दिनांक 31-01-2020

प्रति,
संचालक, डोरस्टॉपशॉपी
बाजार प्रांगण,
आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

संदर्भ :-आदेश पत्र क. 813 दिनांक 29-08-2019 के परिपालनार्थ ।
विषय :-आदेश की अवहेलना कर प्लास्टिक/पॉलिथिन का उपयोग किये जाने हेतु ।

महोदय,
उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा आई.टी.एम. विश्वविद्यालय में प्लास्टिक/पॉलिथिन के उपयोग, लाने एवं रखने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे आप पूर्वतः अवगत हैं, किन्तु उक्त नियमों के बाबजूद भी आपके द्वारा पॉलिथिन/प्लास्टिक का उपयोग किया गया, जिसका साक्ष्य/प्रमाण भी मौजूद है ।

अतः आपके विरुद्ध आदेश का पालन न किये जाने से विश्वविद्यालयीन गठित कमेटी द्वारा 5,000/-रूपये का अर्थदण्ड सुनिश्चित किया गया है ।

भविष्य में पुर्नावृत्ति न हो सुनिश्चित करें ।

सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु ।



समन्वयक
प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधन समिति

प्रतिलिपी :-

1. निजी सहायक माननीय कुलाधिपति महोदय
2. निजी सहायक माननीय प्रति कुलाधिपति महोदय
3. निजी सहायक माननीय कुलपति महोदय
4. कुल सचिव महोदय
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Notice on the ban of plastic

क्र.आई.टी.एम./सूचना/2019/813

अगस्त 29, 2019

आदेश

आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी एवं आई.टी.एम. ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स के सिथौली स्थित परिसर में प्लास्टिक का इस्तेमाल दिनांक 01 सितंबर 2019 से पूर्ण प्रतिबंधित किया जाता है। परिसर स्थित बाजार (खाने-पीने की सभी दुकानों) में भी यह आदेश लागू होगा। परिसर में कोई भी छात्र, छात्रा, कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षक प्लास्टिक का किसी भी स्वरूप में इस्तेमाल करते पाए जाते हैं तो उन पर सीधे रुपये 2,000/- का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी बाजार में अगर कोई भी दुकानदार आदेश का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उस पर पहली बार में रुपये 5000/- का जुर्माना किया जाएगा एवं दूसरी बार में उसकी दुकान का आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है जो प्रति सप्ताह रिपोर्ट तैयार कर कुलसचिव एवं अधिष्ठाता प्रशासन को करेगी।

पुरारी परिसर

14. डॉ. दिनेश सिंह तोमर	-	समन्वयक	} एवं बाजार
15. डॉ. शिवओम सिंह	-	जे.सी. बोस ब्लॉक	
16. डॉ. सुबोध सिंह	-	पी.सी.रे ब्लॉक	
17. डॉ. योगेश गोस्वामी	-	महात्मा गाँधी ब्लॉक	
18. श्री अनिल माथुर	-	एल.डी.व्ही.ब्लॉक	
19. डॉ. विनय गुप्ता	-	एल.डी.व्ही.ब्लॉक	
20. श्रीमती डोली सक्सेना	-	काउंसलिंग सेल	
21. सुश्री मनीसाना सिंह	-	किलॉस्कर ब्लॉक	
22. श्री अभिषेक ठाकुर	-	किलॉस्कर ब्लॉक	
23. डॉ. विपिन तिवारी	-	खेल परिसर	
24. श्री विमल शर्मा	-	खेल परिसर	
25. श्री राजेन्द्र धमानियाँ	-	सभी मार्ग	
26. श्री एस.के.मिश्रा	-	सभी मार्ग	
27. श्री पूरन सिंह	-	सभी मार्ग	
28. डॉ. नवीन रंधुवंशी	-	मुख्यद्वार के आसपास का क्षेत्र, पार्किंग स्थल एवं मुख्य द्वारा पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की चेकिंग कराना	

नोट :- उपरोक्त समिति के जुर्माना लगाने एवं दुकान आवंटन निरस्त करने का पूर्ण प्राधिकार होगा। अगर समिति अपने दायित्व का निर्वाहन पूरी तरह नहीं कर पाती है तो समिति पर रुपये 10,000/- का जुर्माना किया जाएगा।

अधिष्ठाता (प्रशासन) एवं कुलसचिव

ईमेल द्वारा सूचनार्थ :-

- माननीय कुलाधिपति महोदय
- माननीय प्रतिकुलाधिपति महोदय
- माननीय प्रबंध निदेशक महोदय
- माननीय कुलपति महोदय
- मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी

प्रातिनिधि :-


- | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| 1- निदेशक - आई.टी.एम., जी.ओ.आई | 5 फेडरेशन विभाग | 09 मानव संसाधन विभाग |
| 2. उप कुलसचिव कार्यालय - आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी | 6 संपदा अधिकारी एवं सुरक्षा अधिकारी | 10 स्टोर |
| 3. कुलसचिव कार्यालय - आई.टी.एम., जी.ओ.आई | 7 यातायात प्रभारी | 11. ईआरपी सेल |
| 4. जन सपर्क कार्यालय | 8 शमस्त सुपरवाइजर | |

5. Landscaping


Landscaping: Beautiful landscaping is done in all the corners of the campus to purify the air and lower the greenhouse effect on main roads, the area between Blocks, and even within some blocks wherever space can be found. Plucking leaves and flowers are also strictly prohibited.



The garden is made in open spaces by planting herbal plants







Landscape of land with trees and plants